

25.1.21
S.M.C.

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/01/2021

क्र. एफ 16-06/2018/ए-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरर्स प्रा.लि. ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन को विद्युत टैरिफ में दी गई रियायत लागू करने के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में निर्णय लिया गया कि इकाई को शासन आदेश दिनांक 31.12.2019 में स्वीकृत अनुसार विद्युत टैरिफ में रु 1/-प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ में दी गई छूट, अगर कोई हो, के अतिरिक्त होगी एवं विद्युत वितरण कंपनो द्वारा निवेशक को विद्युत देयक में प्रदाय की जाये। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित वितरण कंपनी को की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 25/01/2021

पू.क्र. एफ 16-06/2018/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला रायसेन।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, श्री सुधीर अग्रवाल, डायरेक्टर, मेसर्स सागर मेन्युफेक्चरर्स प्रा. लि., द सागद, ई-2/4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -462016।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग